लोक सभा सदस्य

(आस्तियों तथा देयताओं की घोषणा)

नियम

1. संक्षिप्त नाम:—

इन नियमों का संक्षिप्त नाम लोक सभा सदस्य (आस्तियों तथा देयताओं की घोषणा), नियम, * 2004 है।

2. परिभाषाएं:—

इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो;

(क) ''अधिनियम'' से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) अभिप्रेत है;

(ख) ''समाचार'' से लोक सभा समाचार अभिप्रेत है;

(ग) ''समिति'' से लोक सभा की विशेषाधिकार समिति अभिप्रेत है;

(घ) ''प्ररूप'' से इन नियमों के साथ संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है;

(ङ) ''सदन'' से लोक सभा अभिप्रेत है;

(च) ''सदस्य'' से लोक सभा का निर्वाचित सदस्य अभिप्रेत है;

(छ) ''रजिस्टर'' से नियम-4 के उप-नियम (1) के अंतर्गत निर्वाचित सदस्यों की आस्तियों तथा देयताओं की घोषणा का रजिस्टर अभिप्रेत है;

(ज) ''महा-सचिव'' से लोक सभा का महासचिव अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत वह व्यक्ति भी है जो महासचिव के कर्तव्यों का तत्समय निर्वहन कर रहा है, शामिल है।

(झ) ''धारा'' से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है,

(ञ) ''अध्यक्ष'' से लोक सभा अध्यक्ष अभिप्रेत है,

(ट) जिन शब्दों और अभिव्यक्तियों को यहां परिभाषित नहीं किया गया, किन्तु उन्हें अधिनियम में परिभाषित किया गया है, उनका वही अर्थ होगा जो अधिनियम में क्रमश: उन्हें दिया गया है।

3. सदस्यों द्वारा आस्तियों और देयताओं के संबंध में सूचना उपलब्ध कराना:—

लोक सभा का प्रत्येक निर्वाचित सदस्य अपना पद ग्रहण करने हेतु शपथ अथवा प्रतिज्ञान लेने की तिथि से 90 दिन के भीतर धारा 75क की उपधारा (1) के अनुपालन में उम्मीदवार द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली निम्नलिखित सूचना फार्म 1 में अध्यक्ष को उपलब्ध कराएगा:—

(एक) जंगम और स्थावर संपत्ति जिसका वह, उसका पति/उसकी पत्नी और उस पर आश्रित बच्चे संयुक्त अथवा पृथक रूप से स्वामी अथवा लाभभोगी हों;

(दो) किसी सरकारी वित्तीय संस्था के प्रति उसकी देयताएं; और

(तीन) केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकारों के प्रति उसकी देयताएं।

---

* लोक सभा अध्यक्ष द्वारा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 75क की उप धारा (3) द्वारा उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाये गए।

4. आस्तियों और देयताओं की घोषणा करने संबंधी रजिस्टर:—

(एक) महासचिव फार्म II में एक रजिंस्टर रखेगा जिसका नाम निर्वाचित सदस्यों की आस्तियों और देयताओं की घोषणा संबंधी रजिस्टर होगा।

(दो) महासचिव नियम 3 के अधीन प्रत्येक सदस्य द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर रजिस्टर में दर्ज करने हेतु प्रविष्टियां कारित करेगा।

(तीन) प्रत्येक सदस्य, उसकी पत्नी/उसके पति और आश्रित बच्चों के संबंध में जानकारी रजिस्टर में पृथक पृष्ठ पर अभिलिखित की जाएगी।

(चार) रजिस्टर में अंतर्विष्ट सूचना गोपनीय मानी जाएगी और वह सूचना लोक सभा अध्यक्ष की लिखित अनुमति के सिवाय किसी भी व्यक्ति को उपलब्ध नहीं की जाएगी।

5. निर्देश परिवादों द्वारा होगा:—

(1) इन नियमों के उपबंधों के अनुसार किसी सदस्य के संबंध में परिवाद के अलावा किसी प्रश्न का निर्देश नहीं किया जाएगा कि किसी सदस्य ने इन नियमों के किसी उपबंध का जानबूझ कर उल्लंघन किया है।

(2) किसी सदस्य के संबंध में उपनियम (1) में उल्लिखित प्रत्येक परिवाद किसी अन्य सदस्य या भारत के किसी नागरिक द्वारा लिखित रूप में अध्यक्ष को भेजा जाएगा:

परन्तु अध्यक्ष के संबंध में परिवाद उपाध्यक्ष को भेजा जाएगा तथा उस मामले में ये नियम लागू होंगे जैसे कि पद ''अध्यक्ष'' को पद ''उपाध्यक्ष'' से प्रतिस्थापित कर दिया हो।

(3) किसी सदस्य के बारे में परिवाद करने से पूर्व, परिवादी अपनी संतुष्टि करेगा कि यह विश्वास करने के लिए उचित आधार है कि ऐसे सदस्य ने जानबूझ कर नियमों का उल्लंघन किया है।

(4) परिवादी के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि परिवाद मिथ्या, तुच्छ या तंग करने वाला नहीं है तथा सद्भाव में किया गया है।

(5) नियम 5 के अधीन किया गया प्रत्येक परिवाद—

(क) में उन महत्वपूर्ण तथ्यों का संक्षिप्त विवरण होगा जिन पर परिवादी का भरोसा है, तथा

(ख) के साथ निम्नलिखित संलग्न होगा—

(एक) परिवादी द्वारा विधिवत रूप से प्रतिज्ञात शपथपत्र जिसमें कहा गया हो कि परिवाद मिथ्या, तुच्छ या तंग करने वाला नहीं है तथा सद्भाव में किया गया है; और

(दो) यदि कोई दस्तावेजी साक्ष्य हों जिन पर परिवादी को भरोसा है तो उनकी प्रतियां तथा जहां परिवादी को उसे किसी व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी पर भरोसा हो वहां ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के नाम और पतों का विवरण तथा ऐसे प्रत्येक व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी का सारांश।

(6) अभिवचनों के सत्यापन के लिए प्रत्येक परिवाद पर परिवादी अपना हस्ताक्षर करेगा तथा ऐसी रीति से उसका सत्यापन करेगा जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) में निर्धारित है।

(7) परिवाद के प्रत्येक अनुबंध पर भी परिवादी का हस्ताक्षर होगा तथा उसका सत्यापन उसी रीति से होगा जिस रीति से परिवाद का सत्यापन होगा।

6. प्रक्रिया

(1) नियम 5 के तहत किसी परिवाद के प्राप्त होने पर अध्यक्ष विचार करेगा कि क्या वह परिवाद उक्त नियम की आवश्यकताओं के अनुरूप है।

(2) यदि परिवाद नियम 5 की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है तब अध्यक्ष परिवाद को स्वीकार नहीं करेगा तथा तदनुसार परिवादी को सूचित कर देगा।

(3) यदि परिवाद नियम 5 की आवश्यकताओं के अनुरूप है तो अध्यक्ष उस परिवाद और उसके अनुबंधों की प्रतियां बनवाकर उस सदस्य को भिजवाएगा जिसके विरुद्ध परिवाद किया गया हो, और ऐसा सदस्य ऐसी प्रतियों के प्राप्त होने के पन्द्रह दिनों के भीतर, या इसके ऊपर इतनी अवधि के भीतर जिसकी अध्यक्ष पर्याप्त कारण से अनुमति दे, उस पर अपनी लिखित टिप्पणियां अध्यक्ष को भेजेगा।

(4) उप-नियम (3) के तहत परिवाद के संबंध में अनुमत अवधि (मूल अवधि या उक्त उप-नियम के तहत बढ़ाई गई अवधि) के भीतर प्राप्त टिप्पणियों, यदि कोई हों, पर विचार करने के पश्चात् अध्यक्ष,—

(क) यदि वह संतुष्ट हो कि इन नियमों का जानबूझकर उल्लंघन नहीं किया गया है, परिवाद को अस्वीकृत कर सकेगा; अथवा

(ख) यदि मामले की प्रकृति और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए संतुष्ट है कि ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, परिवाद की जांच करके एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समिति के समक्ष भेज सकेगा।

(5) जहां अध्यक्ष उप-नियम (4) के तहत समिति को कोई परिवाद भेजता है, वह—

(क) समिति से इस निष्कर्ष के साथ रिपोर्ट मिलने पर कि सदस्य द्वारा इन नियमों के प्रावधानों का जानबूझकर उल्लंघन नहीं किया गया है, इस मामले को बंद कर देगी, अथवा

(ख) समिति से ऐसी रिपोर्ट मिलने पर जिसमें यह निष्कर्ष गया हो कि इन नियमों का जानबूझकर उल्लंघन किया गया है, रिपोर्ट को सदन के सभा पटल पर बिना किसी विलंब के रखवाएगी ताकि समिति की रिपोर्ट में अंतर्विष्ट अनुशंसाओं के आधार पर सदन कोई निर्णय ले सके।

6. वह प्रक्रिया जिसका अनुसरण समिति उप नियम (4) के अधीन जांच करने के लिए करेगी, जहां तक हो सके, वही प्रक्रिया होगी जिसका समिति किसी सदस्य द्वारा सदन के विशेषाधिकार का भंग किए जाने के किसी प्रश्न का अवधारण करने के लिए अनुसरण करती है और समिति इस निष्कर्ष पर कि सदस्य ने इन नियमों का जानबूझकर उल्लंघन किया था, तभी पहुंचेगी जबकि उस सदस्य को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का और व्यक्तिगत रूप से सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है।

7. उप-नियम (4) एवं (5) में निर्दिष्ट प्रत्येक निर्णय को समाचार में प्रकाशित किया जाएगा।